पँचदश

बिहार विधान-सभा

षष्ठम् सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-2

16 श्रावण, 1934 (श०)
मंगलवार, तिथि ———————————
07 अगस्त, 2012 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—01

(1) समाज कल्याण विभाग	..	..	01
		कुल योग	01

कार्रवाई करना

"क"-7. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह--हिन्दी दैनिक सामाचार-पत्र में दिनांक 26 मई, 2012 को प्रकाशित "बाल सुधार गृहों में रह रहे हैं दबंग कैदी" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा सहित राज्य के बाल सुधार गृह में 19 से 24 आयु वर्ग के अपराधियों को गलत सर्टिफीकेट के आधार पर अधिक उम्र के लड़के को रखे जा रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दबंग बाल कैदी रिमांड होम में टी०वी० पर कार्यक्रम देखते हैं और शाम ढलते ही अपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बाल सुधार गृह में गलत सर्टिफीकेट के आधार पर रह रहे दबंग कैदियों को चिन्हित कर उसपर कार्रवाई करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट--"क"-गृह (आ०) विभाग के पत्रांक 5917, दिनांक 24 जुलाई, 2012 द्वारा समाज कल्याण विभाग में स्थानांतरित ।

पटना :
दिनांक 07 अगस्त, 2012 (ई०) ।

लक्ष्मी कान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 104--डी०टी०पी०--450--